प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 13.04.2025

प्रेस नोट

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के तीनों जोन के सभी थाना क्षेत्रों में दिनांक 12.04.25 को शाम 06:30 बजे से लेकर 10:00 बजे तक शराब ठेकों के आसपास व सड़क के किनारे सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों की चेकिंग का एक सघन अभियान चलाया गया, जिसमें ऐसे 496 व्यक्तियों को, जिनके द्वारा सार्वजनिक रूप से खुलेआम सड़क पर शराब का सेवन किया जा रहा था, जिससे वहां आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उक्त सभी को हिरासत में लेकर थाने लाया गया व उनका मेडिकल कराते हुए 34 पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान किया गया। इस अभियान में सभी सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों के द्वारा विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की गयी।

जोनवार चालान की स्थिति निम्नवत रही –

नगर जोन-215 , ट्रांस हिंडन जोन-142 , तथा ग्रामीण जोन-139 कुल -496 व्यक्तियों के विरुद्ध 34 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई गयी।

थाना लोनी पुलिस द्वारा धोखाधडी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 07.03.2025 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण द्वारा धोखाधडी करके वादी से प्लॉट देने के नाम पर पैसा ले लेना व वापस न करना तथा फर्जी बैनामा तैयार कर रजिस्ट्री कर देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर घटना पुरानी होने के कारण धारा 420/467/468/471/406/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

दिनांक 12.04.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रविशंकर शर्मा पुत्र स्व0 जगन्नाथ शर्मा निवासी ग्राम जरारा थाना सुरीर जिला मथुरा हाल पता- E-1, लाल बाग नीयर बिजली घर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 55 वर्ष को लोनी इन्टर कालेज के पास से चौकी क्षेत्र लोनी तिराहा से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने बताया कि मैं लोनी व आस-पास के क्षेत्र में प्रोपर्टी डीलर का काम करता हूँ। मेरे पास वर्ष 2016-2017 में श्रीमती चंदा श्रीवास्तव पत्नी स्व0 श्री अभय रंजन श्रीवास्तव निवासी भवानीपुर जिला

वाराणसी व उनके भाई अभय श्रीवास्तव पुत्र स्व0 श्री रमेश श्रीवास्तव निवासी राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद प्लॉट लेने के लिए आये थे। मेरे द्वारा उन दोनो बहन-भाई को खसरा नं0 239 रामविहार ग्राम बंथला लोनी गाजियाबाद में 150 गज का प्लॉट कुल 1550000/- (पन्द्रह लाख पचास हजार रूपये) में देना तय हुआ था। जोकि मैंने उस प्लॉट (खसरा नं0-239) की जी.पी.ए. फर्जी पेपर तैयार कर अपने नाम पर करा ली थी। उसी जी.पी.ए के आधार पर मैंने गाजियाबाद सदर तहसील से दिनांक 25/01/2017 को खसरा नं0 239 रामविहार ग्राम बंथला लोनी गाजियाबाद में 50 गज जमीन का बैनामा चंदा श्रीवास्तव के नाम कर दिया था। शेष 100 गज जमीन पूरी पैमेंट होने के बाद अभय श्रीवास्तव के नाम देनी तय हुई थी। जुलाई 2020 तक चंदा श्रीवास्तव व उसके भाई अभय श्रीवास्तव के द्वारा मुझे कुल 1550000/- रूपये नगद व मेरे खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से दे दिये गये थे। पूरी पेमेंट के बाद जब चंदा श्रीवास्तव अपनी 50 गज जमीन खसरा नं0 239 रामविहार ग्राम बंथला लोनी गाजियाबाद पर कब्जा लेने के लिए गयी तो उसे पता चल गया कि ये जमीन एल.एम.सी. की है। जिसके बारे में उन्होने मुझसे जानकारी की तो मैंने उन्हे किसी दूसरी जगह जमीन देने का आश्वाशन देकर उन्हे शान्त कर दिया। इसके पश्चात मैंने अपने एक परिचित राजेन्द्र सिंह पुत्र बह्म सिंह निवासी ग्राम बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद के द्वारा दिनांक 19/05/2023 चंदा श्रीवास्तव के भाई अभय श्रीवास्तव के नाम प्लॉट नं0 70 वर्ग गज जमीन खसरा नं0 1528/1 गाँव बहेटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद का बैनामा कराया गया था जोकि राजेन्द्र उपरोक्त का अपने भाईयो से घरेलू विवाद होने के कारण ये बैनामा भी दिनांक 22/05/2023 को अभय से राजेन्द्र के नाम वापस करा दिया गया था। उसके बाद मेरे द्वारा चंदा श्रीवास्तव व उसके भाई अभय श्रीवास्तव को लगभग 08 लाख रूपये थोडे-थोडे करके वापस कर दिये हैं। शेष पैसे मैं नही दे पाया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रविशंकर शर्मा पुत्र स्व0 जगन्नाथ शर्मा निवासी ग्राम जरारा थाना सुरीर जिला मथुरा हाल पता- E-1, लाल बाग नीयर बिजली घर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 55 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 12.03.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्त मुकीम पुत्र मोबीन शेख निवासी दौलतनगर, पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष द्वारा छेडछाड करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल धारा 74 बीएनएस

व 7/8 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 180/183 बीएनएसएस के बयानों व पीडिता के मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 64(2)m BNS व 5M/6 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी ।

आज दिनांक 13.04.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मुकीम पुत्र मोबीन शेख निवासी दौलतनगर पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष को थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं तथा वादिया का परिवार आपस में रिश्तेदार हैं। उस दिन मैं वादिया के घर किसी काम से गया था जहाँ वादिया की नाबालिग पुत्री घर पर अकेली थी। इसी बात का फायदा उठाकर मैंने उसके साथ छेडछाड की तथा उसे अन्दर कमरे में ले जाकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बना लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

मुकीम पुत्र मोबीन शेख निवासी दौलतनगर, पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास /पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त घटना के संबंध में दुष्कर्म का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा धोखाधडी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 01.01.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी नितिन त्यागी पुत्र लोकेश त्यागी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ धोखाधडी करके नयी कार देने के नाम पर रूपये ले लेना व नयी कार के कूटरचित प्रपत्र देना तथा वादी को ना ही तो कार देना और ना ही पैसे वापस करना तथा वादी के साथ गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर अभियुक्तगण 1. अंकित त्यागी पुत्र आदेश त्यागी उम्र 36 वर्ष 2. आदेश त्यागी पुत्र छीत्तर सिंह उम्र 55 वर्ष 3.सन्नी उर्फ कालू उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम मण्डोला थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद के विरुद्ध घटना पुरानी होने के कारण धारा 420/467/468/471/406/504/506 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

आज दिनांक 13.04.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अंकित त्यागी पुत्र आदेश निवासी ग्राम मण्डोला थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 36 वर्ष को उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैंने उपरोक्त अभियोग में नामित अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर नयी कार के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर वादी को दिये थे व वादी से पैसे ले दिये थे। उसके बाद ना ही तो मैंने वादी को पैसे वापस किये और ना ही तो उसको कार दी थी तथा उसके द्वारा शिकायतक करने पर हमने उसके साथ गाली गलौच करते हुये जान से मारने की धमकी दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

अंकित त्यागी पुत्र आदेश निवासी ग्राम मण्डोला थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 36 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त घटना के संबंध में धोखाधडी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

नगर जोन, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के सभी थानों व सर्विलांस/ स्वाट टीम द्वारा भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 425 मोबाइल (अनुमानित कीमत 01 करोड़ रूपये) रिकवर कर मोबाइल स्वामियों को लौटाये गये।

सी ई आई आर (सेन्ट्रल इक्वीपमेंट आइडेंटीटी रजिस्ट्रर) पोर्टल पर नगर जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर मोबाइल चोरी, स्नैचिंग/लूट व मोबाइल खोने आदि की प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए नगर जोन पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस एवं मैनुअल इनपुट की सहायता से भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 425 मोबाइल जिनकी अनुमानित कीमत करीब 01 करोड़ रूपये है की बरामदगी की गई है। सर्विलांस टीम द्वारा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिये तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया। बरामद किये गये मोबाइल फोन को मोबाइल फोन के स्वामियों की पहचान कर प्रदान किये गये हैं।

थानावार मोबाइल बरामदगी का विवरण-

1.थाना कोतवाली नगर- 137
2.थाना विजयनगर -55
3.थाना सिहानीगेट- 64
4.थाना नंदग्राम – 63
5.थाना कविनगर -52
6.थाना मधुबन बापुधाम - 42
7.थाना साइबर क्राइम- 12

कुल योग – 425

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा मारपीट करने वाले 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से मारपीट की घटना में प्रयुक्त बैसबॉल के बैत, डण्डा, ईंट अध्धे बरामद।

दिनांक 12.04.2025 को थाना साहिबाबाद पर वादी श्री महेन्द्र सिंह पुत्र स्व श्री अवतार सिंह निवासी म न0 505 मैंन श्याम पार्क साहिबाबाद गाज़ियाबाद द्वारा अपने पुत्र के साथ अभियुक्त 1. रोशन ठाकुर 2. अहमद 3. साहिद 4. राहुल उर्फ गुम्मा 5. शुभम उर्फ गब्बर अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ईट, डण्डे व बैसबॉल के बैत से मारपीट करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी। जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुये थाना साहिबाबाद पर धारा 191(2),190,115(2),110,126(2),352,351(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम आज दिनांक 13.04.2025 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तगण 1. रोशन ठाकुर पुत्र वैकुण्ड ठाकुर वर्तमान पता म0न0-सी-127 लाजपतनगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद मूलनिवासी-दिरौली थाना सिवान जिला सिवान बिहार उम्र करीब 20 वर्ष 2. अहमद अली पुत्र मौ0हाफिज वर्तमान पता म0न0-284 गली न0-5 इन्द्रा कॉलोनी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद मूलनिवासी सिवान थाना गोपालगंज जिला

गोपालगज बिहार उम्र करीब 19 वर्ष व 3. शाहिद खान पुत्र मौ0अलीशेर वर्तमान पता म0न0-168 गली न0-3 इन्द्रा कॉलोनी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद मूलनिवासी ग्राम लखमापुर थाना खेतासराय जिला जौनपुर उम्र करीब 20 वर्ष को इन्द्रा कॉलोनी कट से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के कब्जे से मारपीट की घटना में प्रयुक्त बैसबॉल के बैत, डण्डा, ईंट अध्धे बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि दिनांक 10.04.2025 को गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त व उनके कुछ अन्य साथी एम4यू रोड़ पर अपनी मोटरसाइकिलों से खडे थे। उसी दौरान कार में सवार में तीन लोग आये और अभियुक्तगण उपरोक्त को सडक से हटाने के लिये बार-बार होर्न दे रहे थे, इसी बात को लेकर उनसे कहासुनी हो गयी। कार वाले चले गये, अभियुक्तगण उपरोक्त व उनके सभी साथियों को इस बात से अपनी बेईज्जती महसूस हुई फिर अभियुक्तगण उपरोक्त अपनी मोटरसाइकिल दौडा कर कूडा घर के सामने कार को रोककर कार चला रहे लडके के साथ डण्डो से मारपीट कर दी और अभियुक्तगण उपरोक्त वहाँ से चले गये। करीब आधे घण्टे बाद कार वाले लड़के का भाई चन्दन पार्क के पास रोशन ठाकुर के पिता जी से बहस कर रहा था तो अभियुक्तगण उपरोक्त ने उसे बेसबॉल के डण्डे, ईंट व डण्डों से मारपीट की जिससे उसके सिर से काफी खून निकलने लगा और अभियुक्तगण उपरोक्त वहाँ से भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

1. रोशन ठाकुर पुत्र वैकुण्ड ठाकुर वर्तमान पता म0न0-सी-127 लाजपतनगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद मूलनिवासी- दिरौली थाना सिवान जिला सिवान बिहार उम्र करीब 20 वर्ष।
2. अहमद अली पुत्र मौ0हाफिज वर्तमान पता म0न0-284 गली न0-5 इन्द्रा कॉलोनी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद मूलनिवासी सिवान थाना गोपालगंज जिला गोपालगज बिहार उम्र करीब 19 वर्ष।
3. शाहिद खान पुत्र मौ0अलीशेर वर्तमान पता म0न0-168 गली न0-3 इन्द्रा कॉलोनी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद मूलनिवासी ग्राम लखमापुर थाना खेतासराय जिला जौनपुर उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- मारपीट की घटना में प्रयुक्त बैसबॉल के बैत, डण्डा, ईंट अध्धे बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर मारपीट के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चोरी के अभियोग में वाँछित 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये हुए 09 टुकड़े रबड चढ़ा हुआ बिजली का तार वजन करीब 100 किग्रा बरामद।

दिनांक 17.03.2025 को थाना खोड़ा पर वादी कृष्ण कुमार पुत्र कश्मीरा की लिखित तहरीर के आधार पर बिजली का तार व अन्य सामान 04 व्यक्ति 1. आकाश 2. संजय 3. गौरव व राजीव द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में धारा 305,331(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 12.04.2025 को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर चोरी के अभियोग में वाँछित 02 अभियुक्तगण 1. आकाश पुत्र नरेश सिंह निवासी तसिया मिलक थाना रजबपुर जिला अमरोहा उम्र करीब 22 वर्ष व 2. संजय पुत्र राजपाल निवासी तसिया मिलक थाना रजबपुर जिला अमरोहा उम्र करीब 25 वर्ष को नहर पटरी इन्दिरापुरम अन्डरपास से गिरफ्तार किया गया तथा इसीक्रम में गिरफ्तार दोनों अभियुक्त आकाश व संजय की निशानदेही से आज दिनांक 13.04.2025 को चोरी के अभियोग में वाँछित 01 अन्य अभियुक्त सुनील पुत्र नेत्रपाल निवासी ग्राम

शेरगढ थाना हसनपुर जिला अमरोहा उम्र करीब 32 वर्ष को नियर पानी टंकी कब्रिस्तान के पास खोडा कॉलोनी से गिरफ्तार कर निशानदेही से चोरी किये हुए 09 टुकड़े रबड चढ़ा हुआ बिजली का तार वजन करीब 100 किग्रा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा में बरामदगी व साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 317(2),3(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्तगण उपरोक्त कृष्ण कुमार पुत्र कश्मीरा निवासी गांव अमीर नगर थाना तितावी जिला मुजफ्फरनगर। जिनका के0के0 धानियान कॉन्टैक्टर के नाम से फर्म है तथा वह उत्तर प्रदेश बिजली का विभाग में ठेकेदारी पर कार्य कराते है और साथ में लेबर देने का कार्य करते है। अभियुक्तगण उपरोक्त का करीब 18 दिन काम करने का पैसा वादी पर शेष था जो बार-बार मांगने पर भी नही दे रहा था। अभियुक्तगण उपरोक्त महावीर यादव के मकान में रखा बिजली का तार व अन्य सामान चोरी कर ले गये तथा उसमें से ज्यादातर बिजली का तार व सामान को अभियुक्त गौरव ने अपने जान पहचाने के कबाडी को बेच दिया तथा बचे हुये तार को कबाडी ने लेने से मना कर दिया। जिसे सैक्टर 62 के पास खाली पडे खेत की झाडियो में छुपाकर रख दिया और काम के लिये अभियुक्तगण उपरोक्त जगाधरी हरियाणा में चले गये। अभियुक्तगण उपरोक्त बचे तार को बेचने के लिये वापस खोडा आये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. आकाश पुत्र नरेश सिंह निवासी तसिया मिलक थाना रजबपुर जिला अमरोहा उम्र करीब 22 वर्ष।
2. संजय पुत्र राजपाल निवासी तसिया मिलक थाना रजबपुर जिला अमरोहा उम्र करीब 25 वर्ष।
3. सुनील पुत्र नेत्रपाल निवासी ग्राम शेरगढ थाना हसनपुर जिला अमरोहा उम्र करीब 32 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- 09 टुकड़े रबड चढ़ा हुआ बिजली का तार वजन करीब 100 किग्रा।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार तीनों अभियुक्तगण आकाश, संजय व सुनील उपरोक्त के विरूद्ध थाना खोडा पर चोरी के सम्बन्ध में 01-01 अभियोग है।
- अभियुक्त सुनील उपरोक्त के विरूद्ध थाना छजलैट पर चोरी किया हुआ इलैक्ट्रिक सामान बरामद होने के सम्बन्ध में 01 का अभियोग पंजीकृत है। कुल 02 अभियोग पंजीकृत है।
- अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना खोडा पुलिस टीम।